विपक्षी को भी उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार मेरठ द्वारा ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा नम्बर 1034मि0 रकबा 4.136 है0 में से पाईप लाईन के क्षेत्रफल 0.230 है0 क्षेत्रफल को छोडते हुए अवशेष क्षेत्रफल 3.906 है0 भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण स्वप्रेरणा के आधार पर अकृषिक प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। ऐसी दशा में स्वप्रेरणा के आधार पर प्रस्तुत तहसीलदार मेरठ की आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है, तद्नुसार तहसीलदार मेरठ की आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: **<u>आदेश</u>** ::

अतः स्वप्रेरणा के आधार पर तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 07.12.2009 स्वीकार की जाती है। ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1034मि0 रकबा 4.136 है0 भूमि में से पाईप लाईन के क्षेत्रफल 0.230 है0 को छोडते हुए अवशेष क्षेत्रफल 3.906 है0 भूमि को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसीलदार मेरठ की आख्या नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली दिनांकित 07.12.2009 आदेश का अंग रहेगें, तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ एवं सम्बन्धित उप निबंधक मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः— 15—04—2010

(आलोक तिवारी)
संयुक्त मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

आज यह निर्णय / आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

दिनांकः— 15—04—2010

कार्यालय उप जिलाधिकारी मेरठ।

(आलोक तिवारी)
संयुक्त मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 4/5 /2010 — धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट

सरकार बनाम **किशन एजूकेशन सोसाईटी द्वारा डायरेक्टर श्री मनोज सिंह**

ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ।

:: निर्णय ::

तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनांक 07.12.2009 को स्वप्रेरणा के आधार पर आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ की वर्तमान खतौनी 1415 ता 1420 फसली के खाता संख्या 00226 व 00224 के खसरा नम्बर 1034मि0 रकबा 4.136 है0 पर किशन एजूकेशन सोसाईटी दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर मनोज सिंह पुत्र हरीशपाल निवासी पीली कोठी साबुन गोदाम, मेरठ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। स्थल पर प्रश्नगत भूमि में निर्माण के साथ काफी भूमि खाली पडी है, जिसकी चार दीवारी हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि मे कृषि/बागवानी, पशुपालन या मत्स्यपालन नहीं हो रहा है। ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा नम्बर 1034मि0 रकबा 4.136 है0 में से 0.230 है0 क्षेत्रफल पाईप लाईन में स्थल पर प्रभावित होता है। इसलिए अवशेष क्षेत्रफल 3.906 है0 भूमि को स्वप्रेरणा के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यस्वथा अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। तहसील आख्या के साथ नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ को वर्तमान खतौनी 1415 ता 1420 फसली के खाता संख्या 00226 व 00224 दाखिल की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया, जिस पर विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2007 जिसके द्वारा 2.0681 है0 व विक्रय–पत्र दिनांक 25.09.2007 जिसके द्वारा 0.0222 है0 एवं विक्रय–पत्र दिनांक 26.12.2007 द्वारा 2.0460 है0 भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय–पत्रों के आधार पर दाखिल खारिज के आदेश खतौनियों पर अंकित हैं, जिसके आधार पर विपक्षी 4.1363 है0 भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है तथा नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1034मि0 रकबा 4.136 है0 भूमि में से 0.230 है0 क्षेत्रफल पाईप लाईन से प्रभावित होने के कारण अवशेष क्षेत्रफल 3.906 है0 भूमि में मौके पर कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि प्रश्नगत भूमि में निर्माण के साथ–साथ काफी भूमि रिक्त पडी है और तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि कार्यो में नहीं किया जा रहा है, बल्कि मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्यो में प्रयोग नही की जा रही है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय–विक्रय होता है, तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। क्योंकि विपक्षी द्वारा न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। इससे स्पष्ट है कि

क्र0शे0पृ0सं0 2 पर ——

कार्यालय उप जिलाधिकारी मेरठ